

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आणके द्वार/कैम कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल रवडीका
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या / 6 / 2018

दायर दि० २-५-१८
फैसल दि० २-५-१८

श्री धुलजी पित्त मेमजी फारीदार वि० रवडीका
(वादी)


अनवान
बनाम

भूमिधारी तहसीलदार
(प्रतिवादी)

वादी श्री धुलजी | मेमजी फारीदार ने वाद प्रस्तुत कर मोजा रवडीका के खाता नम्बर ५६४ जमाबन्दी सं० २०७१-७५ में अंकित स्वयं/पिता का नाम धुलजा | मेमजी गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है । प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम धुलजी पित्त मेमजी फारीदार है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम धुलजा पित्त मेमजी फारीदार दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है । प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम धुलजी | मेमजी फारीदार रवडीका होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दृसागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि मोजा रवडीका की जमाबन्दी संवत् २०७१-७५ के खाता संख्या ५६४ में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम धुलजा | मेमजी में संशोधन कर सही नाम धुलजी पित्त मेमजी दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा